ड तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./6117/2005/धौलपुर मुरारीलाल बनाम रामनिवास	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-9-25	**एकलपीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित–** श्री माधवराज सिंह, अभिभाषक प्रार्थी, श्री उमेश कुमार, अभिभाषक अप्रार्थीगण, **आदेश** 1– हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–12–2005, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि प्रार्थी के पिता द्वारा एक राजस्व वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा के समक्ष वादग्रस्त आराजी बाबत प्रस्तुत किया। दौराने वाद वादी/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) एवं आदेश 18 नियम 18 प्रस्तुत किया गया। जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा द्वारा अपने आक्षेपित आदेश से खारिज कर देने से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। 3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस निगरानी पर सुनी गई । 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण का सारतः कथन है कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश दिया है उसमें अपने अधिकार क्षैत्र का प्रयोग भारी अनियमितता व अवैधानिकता पूर्वक किया है तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का नॉन स्पीकिंग आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) एवं आदेश 18 नियम 18 को खारिज किये जाने का आदेश दिया है तथा उसको खारिज करने का कोई ठोस एवं स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निगरानाधीन आदेश विधिक प्रावधानो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। इस प्रकार आलोच्य आदेश Non-Speaking आदेश होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी याचिका स्वीकार की जावे। अन्त में उन्होनें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर निगरानीधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया है। 5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को विधिसम्मत बताते हुए निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया है। 6– विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के साथ संलग्न आलोच्य आदेश का अवलोकन व अध्ययन किया ।	

ड तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./6117/2005/धौलपुर मुरारीलाल बनाम रामनिवास	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	7— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी के पिता द्वारा एक राजस्व वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा के समक्ष वादग्रस्त आराजी बाबत प्रस्तुत किया। दौराने वाद वादी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) एवं आदेश 18 नियम 18 प्रस्तुत किया। जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा द्वारा अपने आक्षेपित आदेश से खारिज कर देने से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) एवं आदेश 18 नियम 18 का निस्तारण करते वक्त अपने आक्षेपित आदेश में अंकित किया है कि—''पत्रावली पेश हुई बहस प्रति. सुनी गई वकुलाय उप. वकील वादीगण ने बहस के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसे खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम10(2)अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 18 सीपीसी सपठित धारा 151 खारिज किया जाता है।'' उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायलय ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 03.12.2005 द्वारा खारिज किया है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्रों को खारिज किया है परंतु खारिज करने का कोई ठोस एवं स्पष्ट कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। सकारण आदेश पारित करने का तात्पर्य यही है कि वह पक्षकार जिसके विरूद्ध आदेश पारित किया गया है वह उसे खारिज करने के कारण एवं आदेश की औचित्यता से अवगत हो सके, जिससे प्राकृतिक न्याय के आधारभूत सिद्धान्तों की पालना हो सके। अतः कारण अभिलिखित किये बिना प्रार्थना पत्र खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्टतः तात्विक एवं सारवान् अनियमितता की है। 8— निष्कर्षतः निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03—12—2005 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण प्रतिप्रेषित कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजखेड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान करते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर पुनः सुस्पष्ट एवं ठोस कारण अंकित करते हुये विधिसम्मत आदेश (reasoned and speaking order) पारित करें। उभय पक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा के समक्ष वास्ते अग्रिम कार्यवाहीं दिनांक 26—09—2025 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । (मदनलाल नेहरा) सदस्य	